

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-257/88)/अलेसे-11/

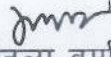
1843

दिनांक :- 7/11/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 98/2017-18 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा श्री किशोर सिंह राजपुरोहित (लिंग नं. 4188), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कोषालय, पाली का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, पाली में किया गया था।

श्री किशोर सिंह राजपुरोहित द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में आज दिनांक तक नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः श्री किशोर सिंह राजपुरोहित को इस निदेशालय स्तर से आज दिनांक 7/11/2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-257/88)/अलेसे-11/

1843

दिनांक 7/11/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय पाली।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, पाली।
3. श्री किशोर सिंह राजपुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कोषालय, पाली।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)